निगरानी) 918-I-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

निगरानी प्रकरण क्रमांक सन 2015

पम्मू काछी आयु लगभग 55 वर्ष तनय स्व. चिन्ना काछीनि0 ग्राम सौरई पो. रामटौरिया थाना बमनौरा तह0 घुवारा जिला छतरपुर म.प्र.-- -- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1- म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष छतरपुर म.प्र.

2- भगवान दास तनय श्री गरीबा ढीमर आयु लगभग 58 वर्ष निवासी ग्राम सौरई तह0 घुवारा जिला छतरपुर म.प्र. हाल निवास वार्डनं. 15 अस्पताल के पीछे शाहगढ़ जिला सागर म.प्र. --- -- अनावेदकगण/गैरनिगरानी कर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण क्रं. 18/स्व. निग./13-14 में पारित आदेश दिनांक 03-11-2014 से व्यथित होकर।

महोदय,

सेवामें आवेदक/निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करता है कि:-

-: निगरानी के तथ्य :-

1- यह कि निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता क्रमांक -2 भगवान दास ढीमर निवासी सौरई को राजस्व प्रकरण क्रं. 15/अ-19/75-76 दिनांक 17-6-1996 को भूमि आवंटन योजना के तहत भूमिखसरानं. 939 ,934 रकबा क्रमशः0.628 हेक्टे.,0.320 हेक्टे. कुल किता

185
06-04-15
B.O.R.
6 APR 2015
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)
15-4-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—918—एक / 2015 जिला—छतरपुर

पम्मू काछी विरूद्ध म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 18 / स्व.निग. / 2013—14 में पारित आदेश दिनांक 03—11—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11—09—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	